ए.एफ.आर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्र. 322/2019

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रधान सचिव, जनजातीय कल्याण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जनजातीय कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. सहायक आयुक्त, जनजातीय कल्याण और विकास विभाग, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़।

4. कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर, जिला- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़।

5. प्रधानाचार्य, सरकारी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डोंगरिया, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. अखिलेश कुमार मिश्रा, श्री फेकुलाल मिश्रा के पुत्र, आयु लगभग 30 वर्ष व्यवसाय- अतिथि शिक्षक (टी.जी.टी. अंग्रेजी), सरकारी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डोंगरिया, जिला गौरेला-पेंड्रा- मरवाही, छत्तीसगढ़। निवासी ग्राम रावेल, पोस्ट- विजयपुर, तहसील- लोरमी, जिला- मुंगेली, छत्तीसगढ़।

2 भीमसेन सोनवानी, श्री तुलसी प्रसाद के पुत्र, आयु लगभग 27 वर्ष, व्यवसाय- अतिथि शिक्षक (टी.जी.टी. अंग्रेजी), सरकारी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डोंगरिया, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़। निवासी ग्राम बरगावन, पोस्ट- भर्रीडंड,तहसील- मरवाही, जिला- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़।

--- प्रतिवादीगण

अपीलार्थी/राज्य के लिए	: श्री सिद्धार्थ दुबे, उप महाधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए	: श्री स्वजीत सिंह, अधिवक्ता

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश

25.10.2021

1. अपीलार्थिगणो की ओर से श्री सिद्धार्थ दुबे, विद्वान उप महाधिवक्ता को श्रवण किया गया। प्रतिवादियों की ओर से श्री स्वजीत सिंह, विद्वान अधिवक्ता को श्रवण किया गया।

2. यह रिट अपील दिनांक 04.11.2020 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका (एस) क्र. 4573 वर्ष 2020 में रिट याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित कार्यकारी निर्देश दिए थे, जो उक्त आदेश कि कंडिका 7 और 8 में हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. बेहतर अवलोकन के लिए कंडिका 7 और 8 निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

> "7. यह न्यायालय, प्रस्तुत परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के मामले में भी वही तर्क स्वीकार करने के लिये प्रतिबद्ध है तथा तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि जब तक याचिका-कर्ताओं के कार्य प्रदर्शन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है, प्रतिवादियों को उक्त विषय के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में किसी नए भर्ती के लिए जाने से रोका जाता है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी क्र. 5 के विरुद्ध नियुक्त किया गया था।
>
> 8. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को केवल अतिथि शिक्षकों के दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जाने की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह राज्य सरकार को नियमित नियुक्ति के माध्यम से या अनुबंध शिक्षकों के नियमों के तहत अनुबंध शिक्षकों को नियुक्त करने से नहीं रोकेगा। अतिथि शिक्षकों का वेतन राज्य द्वारा निर्धारित भुगतान के नए सेट के अनुसार होगा क्योंकि एक ही पद के लिए भुगतान के दो सेट नहीं हो सकते।"

4. रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में दिनांक 21.09.2020 के एक विज्ञापन के विरुद्ध याचिका दायर की थी, जिसमें 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए

गए थे। रिट याचिकाकर्ताओं का मामला था कि अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उन्हें 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में चुना गया था और उनका प्रदर्शन भी संतोषजनक था। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों के लिए अगले वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित करना हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम पियारा सिंह एवं अन्य (1992) 4 एस.सी.सी. 118 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत था।

5. श्री सिद्धार्थ दुबे, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य को तर्क का खंडन करने का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया था और इसलिए, वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किए जाने योग्य है।

6. वहीं दूसरी ओर श्री स्वजीत सिंह, प्रतिवादियों/रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांत पर निर्भर किया गया एवं इसी कारणवश, यदि कोई अवसर दिया भी गया होता, तभ भी अपीलार्थियों को इसका लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया है।

8. हालांकि, यह सच है कि रिट याचिका का निपटारा राज्य को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिए बिना किया गया था, लेकिन यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक अस्थायी कर्मचारी को दूसरे अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और अतिथि शिक्षकों की स्थिति अस्थायी कर्मचारी के समान है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी नोट किया था कि रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के आदेश में एक खंड था जिसमें उल्लेख किया गया था कि नियुक्ति नियमित भर्ती/अनुबंध/स्थानांतरण के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक की गई है। रिट अपील में यह नहीं कहा गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई शिकायत है या उनकी सेवा अन्यथा संतोषजनक नहीं थी। इसलिए, हमारे विचार में, यद्यपि अपीलार्थियों को रिट याचिका का विरोध करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, हमारे मतानुसार तथ्यों और परिस्थितियों के तहत,अपीलार्थियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।

9. इस दृष्टिकोण से, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता है और तदनुसार, रिट अपील निरर्थक होने के कारण खारिज की जाती है। कोई व्यय नहीं।

सही/-
(अरूप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur